1157
11/10/22

बिहार सरकार
बिहार कौशल विकास मिशन
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

बिहार कौशल विकास मिशन के नियंत्राणाधीन संचालित कौशल विकास से संबंधित केन्द्रों के निरीक्षण एवं अनुश्रवण हेतु पूर्व में निर्गत आदेश संख्या–648 दिनांक–23.09.2021 को संशोधित करते हुए निम्नलिखित निदेश दिये जाते हैः–

1. जिला कौशल प्रबंधक अपने क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित कौशल विकास के केन्द्रों में से कम से कम दो (02) केन्द्रों का निरीक्षण प्रतिदिन करेंगे।
2. बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या–602 दिनांक 04.11.2016 के द्वारा विभिन्न कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये जिला स्तर पर संबंधित जिला नियोजन पदाधिकारी को विभागीय नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है (प्रति संलग्न)।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी जिले में अवस्थित बिहार कौशल विकास मिशन से संबंधित कम से कम दस कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कर तत्संबंधी प्रतिवेदन प्रत्येक माह उपलब्ध करायेगे। वैसे जिले जहाँ जिला नियोजन पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है एवं सहायक निदेशक, नियोजन जिला नियोजन पदाधिकारी के प्रभार में हैं, उक्त जिले में सहायक निदेशक, नियेाजन जिला नियोजन पदाधिकारी को आवंटित दायित्वों का निर्वहन करेंगे।
4. जिला कौशल प्रबंधकों को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आवंटित कार्यों से पृथक अन्य कार्यों यथा आईटीआई परीक्षा, NCS Portal से संबंधित कार्य इत्यादि को संपादित करने से उनका मूल कार्य प्रभावित होता है। अतएव जिला नियोजन पदाधिकारी जिला कौशल प्रबंधकों को किसी भी प्रकार का अन्य कार्य आवंटित नहीं करेंगे।
5. वैसे जिले जहाँ एक से अधिक जिला कौशल प्रबन्धक कार्यरत है, में राज्य प्रोग्राम ईकाई पी0एम0यू0 के द्वारा तकनीकी पहलूओ यथा केन्द्रों की संख्या, केन्द्रों का भौतिक स्थिति, पोर्टल की कार्य प्रणाली आदि के आधार पर जिला कौशल प्रबंधकों का कार्य आवंटन, ब्लॉक आवंटन इत्यादि का निर्धारण किया जायेगा।
6. जिला नियोजन पदाधिकारियों को बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा पत्र संख्या–115 दिनांक–23.02.2021 के माध्यम से पोर्टल का Log in ID एवं पासवर्ड प्रदान किया गया है। अतएव जिला कौशल प्रबंधक को आवंटित Log in ID एवं पासवर्ड की मांग न की जाये।
7. ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जिला नियोजन पदाधिकारियों द्वारा कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों का निरीक्षण कर उसका निरीक्षण प्रतिवेदन बिहार कौशल विकास मिशन को उपलब्ध कराने के बजाय उनसे सीधे तौर पर स्पष्टीकरण पूछा जा रहा है। कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों में अनियमितता पाये जाने पर निर्णय लेने हेतु मुख्य

कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन सक्षम प्राधिकार होते हैं। अतएव निर्देश दिया जाता है कि केन्द्रों से संबंधित जॉच प्रतिवेदन अपनी अनुशंसा सहित बिहार कौशल विकास मिशन को सीधे उपलब्ध कराया जाये, ताकि उक्त पर सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर नियमानुसार निर्णय लिया जा सके।

८. कौशल विकास केन्द्रों का अधिक से अधिक आवृति में जॉच हो सके, इसके लिए जिला नियोजन पदाधिकारी एवं जिला कौशल प्रबंधक अलग–अलग स्वतंत्र तौर पर केन्द्रों का निरीक्षण करेंगे।

९. जिला कौशल प्रबंधकों के द्वारा केन्द्र का निरीक्षण प्रतिवेदन ई–मेल के माध्यम से जिला नियोजन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला नियोजन पदाधिकारी निरीक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा कर वैसे केन्द्रों जहॉ अनियमितता प्रतिवेदित हुई है, को चिन्हित करते हुए उक्त केन्द्रों की जॉच प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

(राजीव रंजन)
अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–बी0एस0डी0एम0 / एस0डी0एम0–195 / 2022 - 1157 पटना, दिनांक– 11-10-2022

प्रतिलिपिः– 1. सभी संबंधित केन्द्र संचालाकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. PD, MKCL/ PD, E&Y/ FMAS को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला नियोजन पदाधिकारी / जिला कौशल प्रबन्धक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मिशन निदेशक / मिशन प्रबन्धक(कार्यक्रम क्रियान्वयन) / मिशन प्रबन्धक (समन्वय) / मिशन प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), बिहार कौशल विकास मिशन को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. निदेशक नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन
बिहार, पटना।